



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273697  
CG-DL-E-22062026-273697

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3139]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3139]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

का.आ. 3265(अ).— केंद्रीय सरकार सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 4 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 17 (2) (छ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और दिनांक 11 नवंबर, 2024 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में एतद्वारा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक साल की अवधि के लिए, राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड की परिशोधित संरचना को दिनांक 4 मई, 2022 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा (च) को प्रतिस्थापित करके निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

बिहार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, राजस्थान और सिक्किम राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष, सदस्य के रूप में, पदेन;

[फा. सं. यू.11019/03/2022-एचआर (पार्ट)]

ऋचा खोड़ा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(Department of Health Research)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2026

**S.O. 3265(E).**— In exercise of the power conferred by Section 17 (2) (g) of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 and Section 4 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and also in supersession of notification of even no. dated 11<sup>th</sup> November, 2024, the Central Government hereby notifies the revised composition of National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board, for a period of one year from the date of issue of this notification, for the purposes of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, by replacing Para (f) of the notification of even no. dated 4<sup>th</sup> May, 2022 as under :-

Chairpersons of the States/Union Territories of Bihar, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Rajasthan and Sikkim as Members, ex officio;

[F. No. U.11019/03/2022-HR (Part)]

RICHA KHODA, Jt. Secy.